प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 22 मार्च, 2021

विषय- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में टाइप-2 के 24 नग आवासों के निर्माण निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7115/नम-1/2019, दिनांक-17.03.2021 एवं प्रश्नगत कार्यों की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-59/2019/933/22-4-2019-48(24)/19, दिनांक-24.10.2019 तथा शासनादेश संख्या-48/2020/1123/22-4-2020-48(24)/19, दिनांक-24.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश दिनांक-24 अक्टूबर, 2019 द्वारा केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में टाइप-2 के 24 नग आवासों के निर्माण हेतु रू0 386.56 लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 193.28 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश दिनांक-24.12.2020 द्वारा रू0 77.31 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में टाइप-2 के 24 नग आवासों के निर्माण की अवशेष धनराशि में से प्रश्नगत निर्माण कार्यों की स्वीकृत लागत रू0 386.56 लाख की 20 प्रतिशत धनराशि रू0 77.31 लाख अर्थात कुल रू0 77,31,000/- (रूपया सतहत्तर लाख इक्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	कार्य का नाम	कार्य की लागत	पूर्व स्वीकृत धनराशि	अवशेष धनराशि	स्वीकृत (लागत की 20 प्रतिशत धनराशि)
1	केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में टाइप-2 के 24 नग आवास	386.56	270.59	115.97	77.31
				योग-	77.31

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय, वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(3) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग एवं कार्य निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कर लिया जाय।

4- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक-24.10.2019 एवं 24.12.2020 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

5- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास-03-कारागार स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2020-बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनांक 29 सितम्बर, 2020 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-60/2021/429/22-4-2021-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in